टेलीफोन/फैक्स : (0755) 2760868 R.C.II, 2557670 P.R.O.,
2577849, 2558595 A.C., 2553494
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment Govt. of India)
उप क्षेत्रीय कार्यालय/Sub Regional Office
132, जोन–II, एम.पी. नगर, भोपाल – 462011
132, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal -462011

विषय :– कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अब सभी वार्षिक/मासिक रिर्टन अनिवार्यतः इलेक्ट्रानिक प्रारूप में ही स्वीकार किये जाऐगें – संबधी ।

संदर्भ :– श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र संख्या–515, दिनांक 05.08.2011 ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अब सभी वार्षिक/मासिक रिर्टन अनिवार्यतः इलेक्ट्रानिक प्रारूप ;ब्क्द्ध में ही स्वीकार किये जाऐगें।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 515, दिनांक 05.08.2011 में प्रकाषित की गई नवीन अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाली तीनो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विभिन्न धाराओं के तहत जमा की जाने वाली **मासिक एवं वार्षिक रिर्टन अब इलेक्ट्रानिक प्रारूप में ही स्वीकार की जाएगी ।**

अतः आप से अनुरोध हैं कि नवम्बर, 2011 से आगे की सभी मासिक एवं वार्षिक रिर्टन जैसे 3A, 6 A, 12A, 9, 5,10 इत्यादि **www.epfindia.com एवं www.epfindia.nic.in** पर उपलब्ध ई टूल का उपयोग करते हुऐ सॉफ्ट कॉपी (CD) तथा हार्ड कॉपी (CD के डाटा का साइन किया हुआ प्रिंट आउट) में जमा कराना सुनिष्चित करें । **कृपया यह भी ध्यान रखें कि वर्ष 2011–12 की वार्षिक विवरणियां अन्य फॉरमेट में बनी फाईल में स्वीकार नहीं की जा सकेगी तथा समय पर विवरणियां नहीं जमा कराने पर अधिनियम की धारा 14/14A ई.पी.एफ. योजना, 1952 के पैरा 76(b) के तहत अभियोजन की कारवाई की जाएगी ।**

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित विवरणियां उनके समक्ष दर्षाई गई तिथि जमा करना अनिवार्य है :–

फॉर्म नं.	उद्देष्य	निर्धारित तिथि	टिप्पणी
आरंभिक विवरणी 5 A	स्वामित्व की विवरणी	अधिनियम के लागू होने पर तुरंत प्रभावी	स्वामित्व में किसी भी प्रकार की तब्दीली होने पर विवरणी/संषोधित विवरणी जमा करनी होगी ।
11 (परिवर्तित)	पूर्ववर्ती रोजगार का विवरण	संस्थान जॉइन करने पर	प्रवर्तन अधिकारी को दिया जाएगा ।
9 (परिवर्तित)	अधिनियम लागू होने की निथि पर भ.नि. सदस्यता हेतु पात्र समस्त कर्मचारियों का विवरण	अधिनियम लागू होते ही ।	इस विवरणी के साथ ही फॉर्म 2 (संषाधित) नामांकन एवं घोषणा पत्र भी भेजा जाना चाहियें। खाता क्रं. आरोही क्रम से आबंटित किये जाने चाहिये । अधिकृत अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर संलग्न होने चाहियें ।
मासिक विवरणी 5	माह के दौरान नामांकित सदस्यों के विवरण	आगामी माह की 15 तारीख तक	फॉर्म 2 (संषोधित) तथा योजना प्रमाण पत्र (यदि) हो तो भेजें
10	माह के दौरान सेवा त्यागने वाले सदस्यों का विवरण	आगामी माह की 15 तारीख तक	फॉर्म 3। (अंषदान कार्ड) इस विवरणी के साथ भेजें
12A	प्राप्त एवं देय अंषदान, मजदूरी के समेकित विवरण इत्यादि	आगामी माह की 25 तारीख तक	चालान (3 प्रतियो में) की प्राप्ति प्रति विवरणी के साथ भेजें
वार्षिक विवरणी 3A	कर्मचारियों का अंषदान कार्ड	आगामी वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल	
6A	संपूर्ण वर्ष हेतु समस्त कर्मचारियों की प्राप्त अंषदान का समेकित विवरण	आगामी वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल	भुगतान एवं देयों का समयबद्ध समाषोधन

अधिक जानकारी के लिए 132, जोन–II, एम. पी. नगर स्थित पी.एफ. कार्यालय में व्यक्तिगत एवं दूरभाष 0755–2577849, 0755–2557670 पर संपर्क किया जा सकता है ।